(26)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2017

1. गुरमेल सिह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. जसवीर कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
   1/1 सुखपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी ओडावाली ढाणी तहसील सादुलशहर।
   1/2 दर्शन सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जटसिख निवासी ओडावाली ढाणी तहसील सादुलशहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 18.07.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 39 एफ श्रीकरणपुर की जमाबदीं सम्वत 2069-2072 के खाता संख्या 27/16 के मुरबा न0 9,15 व मुरबा न0 55/10 में कुल 6.574 है0 भूमि में से प्रार्थी गुरमेल सिंह के नाम 3.540 है0 भूमि व अप्रर्थीया जसवीर कौर के नाम 3.034 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस साझा खाता की भूमि में मौखिक बंटवारा अनुसार प्रार्थी के हिस्से में मुरबा न0 9 के किला न0 23 के 2 विस्वा किला न0 24 व 25 सालम व मु0 न0 15 के किला न0 3 का आधा किला, न0 4,5,9,10,11,12,18,19,20,21,22 सालम किला न0 8 आधा, किला न0 13 आधा, किला न0 23 आधा कुल 14 बीघा भूमि प्रार्थी के हिस्से में आयी हुई है और इसी मौखिक बंटवारा अनुसार शांतिपूर्वक कब्जा चला रहा है। अप्रार्थीया अपने नाम की 3.034 है0 भूमि को बेचान करने पर अमादा है अप्रार्थीया बिना बंटवारा करवाये इस भूमि का बेचान नहीं कर सकती इसलिए प्रार्थीया को रोका जाना न्यायोचित है प्रार्थी इस भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है प्रार्थी ने अप्रार्थीया से इस भूमि को बेचान करने व प्रार्थी के कब्जा में दखलन्दाजी करने से मना किया तो उसने इन्कार कर दिया व कहा कि मैं जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करके कब्जा सौंप दूगीं यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए अप्रार्थीया को ऐसा किया जाने से रोका जाना न्यायसंगत है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में बनना पाया जाता है व राईट् व टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीया के विरूद्व मुलवाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने की अप्रार्थीया विवादित भूमि में प्रार्थी के कब्जा काशत में दख्ल अंदाजी नही करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गयी सुखपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह व दर्शन सिंह पुत्र अमर सिंह द्वारा मूल पत्रावली में प्रार्थनापत्र पेश किया गया कि जसवीर कौर की मृत्यु दिनांक 30.3.2018 को हो चुकी है। प्रार्थीगण जसवीर कौर के विधिक प्रतिनिधी है जिनहें जसवीर कौर के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जावें। वकील प्रार्थी के द्वारा इस पर कोई नहीं आपति होना जाहिर किया गया।

बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि साझा खाता कि भूमि है कि यदि किला वाईज विभाजन किये बिना भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

का बेचान हुआ तो कई समस्याएं पैदा होगी। इसलिये जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थायी किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कि जसवीर कौर वादगत भूमि में सहखातेदार है। अपनी खातेदारी भूमि बेचने पर कोई रोक नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इस संबंध में वकील अप्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर आर.आर.डी 2008 पेज नं0 762 व आर.आर.डी 2004 पेज नं0 65 व आर.आर.डी 2002 पेज नं0 214 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा चक 39एफ की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 27/16 के मु0 नं0 09 ,15 व 55/10 की कुल 6.574 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया है। वादगत भूमि सांझा खाता की भूमि है जिसमे अप्रार्थीया जसवीर कौर (मृतक) सहखातेदार है। जिसको या उसके विधिक वारिसान को उसके हिस्से की भूमि को विक्रय करने से अथवा उपभोग करने से वंचित नही किया जा सकता। संयुक्त खाते की भूमि में समस्त सहखातेदार पूर्ण भूमि पर काबिज होते है। उनमे से किसी एक को अस्थायी निषेधाज्ञा से नही रोका जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचना करते हुए इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निर्णय तक चक 39एफ की जमाबदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 27/16 के मु0 नं0 09,15 व 55/10 की कुल 6.574 है0 नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि को विशिष्ट किलावाईज बेचान नही किया जावे। अपना हिस्सा बेचने पर कोई रोक नहीं होगी। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.18 ..को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/18

{रीना डिम्पल आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner